BULANDSHAHR POLICE

दिनांक - 05 अगस्त 2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में नये कानून (बीएनएस) के अन्तर्गत बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को 04 माह 20 दिन के अन्दर आजीवन कारावास व 25,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। बुलन्दशहर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर पर पंजीकृत मुअसं- 216/25 धारा- 103(1) बीएनएस में **आज दिनांक 05.08.2025 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम (माननीय न्यायालय एडीजे-03 बुलन्दशहर) द्वारा इस प्रकरण में त्वरित विचारण (स्पीडी ट्रायल) करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।**

घटना क्रमः-

अभियुक्त राहुल पुत्र सुखराम निवासी ग्राम नगला रूमी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 15.03.2025 को अपने गाँव निवासी आकाश पुत्र उद्दल सिंह की धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी गयी थी। इस वीभत्स घटना मे अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा दिलाये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा इस अभियोग की विवेचना एवं ट्रायल की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की गयी एवं** इस जघन्य अपराध में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कराते हुए विवेचनान्तमक कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर दिनांक 05-06-2025 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

समय सारणीः-

घटना का दिनांक – 15.03.2025
एफआईआर का दिनांक - 16.03.2025
आरोप पत्र का दिनांक - 05.06.2025
आरोप पत्र पर मा0 न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान - 11.07.2025
मा0 न्यायालय में चार्ज फ्रेम का दिनांक - 16.07.2025
मा0 न्यायालय द्वारा सजा का दिनांक - 05.08.2025
कुल परिक्षित गवाह- 09

महत्वपूर्ण योगदान-

1. निरीक्षक श्री राजपाल तोमर
   विवेचक/तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर

2. अभियोजक श्री विजय कुमार शर्मा

3. मॉनीटरिंग सेल प्रभारी- श्री यशपाल सिंह

4. का0 सुनील कुमार
   पैरोकार थाना खुर्जा नगर

5. कोर्ट मोहर्रिर का0 सुरजीत सिंह

मीडिया सेल बुलन्दशहर